# पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org


पत्रांक : 1463/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांक: 22.09.2025

**विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

**समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर I/ II)/महाप्रबन्धक,**
**समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,**
**समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....................।**

कृपया दिनांक 20.09.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

**संलग्नः यथा उपरोक्त।**

**(अशोक कुमार जुयाल)**
**महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)**

**पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक : –**

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी–सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

**संलग्नः यथा उपरोक्त।**

**(अशोक कुमार जुयाल)**
**महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)**

## सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

**उपस्थिति:**

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के कार्मिक ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए:–

1. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)।
2. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)।
3. श्री दीपक पाण्डे, लेखाधिकारी।
4. श्री विकास कुमार, सहायक लेखाधिकारी।
5. श्री राजेश अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी।

**विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:–**

| क्र0 सं0 | सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम | सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि | इकाई का नाम | पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति | प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0 अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा–निर्देश |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता | 30.04.2024 | 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपकेन्द्र, पिरानकलियर | प्रकरण में प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी गयी है। लेखाहकदारी के Portal में प्रकरण Feed करते समय Technical Error के कारण लेखाहकदारी स्तर पर प्रकरण लम्बित है, जिस हेतु लेखाहकदारी विभाग को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है। | – |
| 2. | श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता | 31.10.2024 | 220 के0वी0 उपकेन्द्र, पिरान कलियर | प्रकरण श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता के समान होने के कारण कारपोरेशन अधिवक्ता से श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता के पेंशन प्रकरण में दी गई राय के अनुरूप ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। | प्रकरण शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। |
| 3. | श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) | 31.10.2024 | क्रय एवं अनु0, पिटकुल, देहरादून | उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1381/I(2)/2010-07(2)/10 दिनांक 06.07.2010 के अनुपालन में पुनः कारपोरेशन पत्रांक 958 दिनांक 18.06.2025, 1239 दिनांक 07.08.2025 एवं 3030 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा शासन से दिशा–निर्देश चाहे गये हैं। | – |
| 4. | श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी | 30.06.2025 | पेंशन एवं अधिष्ठान अनुभाग, पिटकुल, देहरादून | निस्तारित। | – |

Rajesh Kumar
AO

क्रमशः..............2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री डी0सी0 पाण्डे, मुख्य अभियन्ता | 30.06.2025 | परियोजना नॉन ए0डी0बी0, पिटकुल, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी | निस्तारित। | – |

**सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृत्तक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–**

1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में Aprenticeship कर रहे अभ्यर्थियों की उपस्थिति तथा मानदेय ससमय पूर्ण कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में तैनात स्थायी कार्मिकों एवं संविदाकर्मियों का डाटा बेस (Database) अद्यतन कर तथा डाटा बेस में कार्मिक की नवीनतम फोटो सहित जोन वाईज मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में उपस्थित कार्मिकों को उनके कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्ष 2025–26 हेतु Individual के0पी0आई0 के लक्ष्य तैयार कर यथाशीघ्र मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को अवगत कराया गया कि प्रकरण में उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु अग्रसारित प्रकरणों जैसे कि पासपोर्ट, उच्च शिक्षा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनापत्ति प्रमाण पत्र को मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में प्रेषित करने पूर्व प्रकरण को नियमानुसार भली–भाँति जाँच/परीक्षण कर प्रेषित करें, ताकि प्रकरणों में पायी जाने वाली कमियों के निराकरण हेतु अनावश्यक पत्राचार ना करना पड़े।
5. विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरणों के बीजकों में सम्बन्धित उपचार के सम्मुख सी0जी0एच0एस0 कोड अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में तैनात कार्मिकों के अवकाश (यथा– उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश इत्यादि) का विवरण पी0आई0एस0 में ससमय अंकित करने तथा प्रत्येक माह बैठक की निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व उक्त का प्रमाण पत्र ई–मेल gpfepfptcul@rediffmail.com पर प्रेषित करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया।
7. 400 के0वी0 परि0एवंअनु0 खण्ड, श्रीनगर से श्रीमती किरन, सहायक लेखाकार (अधिष्ठान सम्बन्धी अतिरिक्त कार्यभार) बैठक में अनुपस्थित थी। अतैव उनके नियंत्रक अधिकारी को उनके बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण प्राप्त करते हुए महाप्रबन्धक (मा0सं0) को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री दिनेश जोशी, अवर अभियन्ता के दिनांक 31.08.2025 को कारपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके समस्त सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान नियमानुसार यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(राजेश कुमार)** | **(दीपक पाण्डे)** | **(विवेकानन्द)** | **(अशोक कुमार जुयाल)** |
| **सहायक लेखाधिकारी** | **लेखाधिकारी** | **उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)** | **महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)** |